Dr. Madan Paswan, History.
Class: B.A. Part-II (Hons.) P-III.
Topic: Iqta System...

Lecture No. 17.
Date: 13.10.2020
Continue Lecture...

(1)

मिनहाज के अनुसार, इल्तुतमिश के समय में मुक्ता को उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर तभी नियुक्त किया जाता जब सुल्तान को उनकी योग्यता तथा कार्यकुशलता पर पूरा विश्वास हो जाता था।

साधारण रूप से छोटी इक्ताओं को - इक्तादार,
बड़ी इक्ताओं के पदाधिकारी को - मुक्ता या वली कहा जाता था।

लोदी शासकों के समय तक मुक्ता को वजहदार कहा जाने लगा था।

इक्ता की अवधि :

सियासतनामा के अनुसार मुक्ता का कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मुक्ताओं की अवधि को देखकर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि उनकी औसत नियुक्ति चार से 4.5 वर्ष के बीच होती थी। दूर-दराज की इक्ताओं पर औसत नियुक्ति अवधि तीन वर्ष होती थी। इसके बाद उन्हें दूसरे इक्ता में स्थानांतरित कर दिया जाता था।

इल्तुतमिश के शासन काल में मुक्ताओं को बारबार स्थानांतरित किया जाता था जबकि फिरोजशाह के शासन काल में इक्ता हस्तांतरण की प्रथा कमजोर पड़ गई।

लोदी तथा सूर शासक अमीरों को अपनी इच्छानुसार इक्ता से स्थानांतरित तथा निष्कासित करते थे। सुल्तान का विश्वास खोने पर ही मुक्ताओं को उनकी इक्ता से पदच्युत किया जाता था।

Continue...

13वीं - 14वीं सदी के आरम्भ में सुल्तान द्वारा प्रदत्त अनुदान संबंधी प्रमाणों से ज्ञात होता है कि मुक्ता के निम्नलिखित कर्तव्य थे :-

(i) सामंतों तथा विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध युद्ध करना।

(ii) महत्वपूर्ण शहरों में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना।

(iii) खिलजनों तथा विद्वान व्यक्तियों को भूमि प्रदान करना तथा भूमि का निः शुल्क अनुदान करना।

Continue ...